सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 09-01-2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कपिलवस्तु सहित थाना कपिलवस्तु पर गठित साइबर सेल पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

दिनांक 17.12.2025 को म्यूल खाता सं0-00000040548214309 से 1,07,03,720/- रूपये (एक करोड़ सात लाख तीन हजार सात सौ बीस रूपये) के ऑनलाइन फाइनेन्सियल फ्राड में सम्मिलित 05 नफर अभियुक्तों को मु०अ०सं० 85/2025 धारा 419, 420, 34, भा०द०वि० व 66 (डी) आई०टी० एक्ट थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सिद्धार्थनगर भेजा गया तथा उपरोक्त मुकदमें में 07 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद मोटर साइकिल, 01 अदद मारूति स्वीफ्ट कार एवं नगद 98,200/- रूपये बरामद किये थे।

आज दिनांक 09.01.2026 को डॉ0 अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा उक्त सराहनीय कार्य के लिए द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कपिलवस्तु सहित थाना कपिलवस्तु पर गठित साइबर सेल पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। महोदय द्वारा बताया गया कि यह सम्मान हाल ही में थाना कपिलवस्तु पुलिस द्वारा एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ करने एवं एक करोड़ सात लाख रूपये से अधिक की ठगी के मामले में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया। उन्होंने टीम को आगे भी इसी उत्साह से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साइबर अपराधों से बचाव हेतु जनता से अपील है कि संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें तथा किसी भी ऑनलाइन ठगी की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी थाने पर सूचना दें।

प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले साइबर पुलिस टीम का विवरण-

01.संतोष कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
02.उ0नि0 अखिलेश कुमार मिश्र थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
03.कम्प्यूटर आ0 विनय यादव थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
04.आरक्षी राहुल यादव थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
05.आरक्षी आलोक यादव थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
06.महिला आरक्षी अनुपम सिंह थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 09-01-2026 जनपद सिद्धार्थनगर

◆वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/ शिकायतों को सुना।

आज दिनांक 09.01.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय मे जनसुनवाई किया गया। जनसुनवाई मे कुल 10 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिसमें 01 मारपीट, 02 भूमि विवाद तथा शेष 07 अन्य से सम्बंधित थे। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 09-01-2026 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना भवानीगंज पुलिस द्वारा एक नफर वारन्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर प्रसान्त कुमार प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी डुमरियागजं बृजेश कुमार वर्मा के निर्देशन मे एवं थानाध्यक्ष बृजेश सिंह के कुशल नेतृत्व में माननीय न्यायालय द्वारा जारी वारन्ट में आज दिनांक 09.01.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

वारंटी का विवरणः-

01.अजमेरी पुत्र सूरजू बंजारा निवासी जंगलीपुर थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर (दण्ड वाद सं0 1597/04 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना जोगिया उदयपुर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 भूपेन्द्र राज सिंह थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

2.हे0का0 हरेन्द्र यादव थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

3.का0 अजय यादव थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 09-01-2026 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2026 के अंतर्गत मधुबेनिया पेट्रोल पम्प पर हेलमेट व पम्पलेट वितरित कर आमजन को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरुक किया गया।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2026 (दिनांक 01.01.2026 से 31.01.2026 तक) के दृष्टिगत आज दिनांक 09.01.2026 को जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी.एन. एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन द्वारा संयुक्त रूप से मधुबेनिया पेट्रोल पम्प पर दोपहिया वाहन चालकों एवं आमजन में हेलमेट का वितरण किया गया। साथ ही "नो हेलमेट नो फ्यूल" (बिना हेलमेट के ईंधन नहीं) नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पेट्रोल पंपों पर यातायात नियमों से संबंधित पंपलेट वितरित कर लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि हेलमेट का उपयोग सड़क दुर्घटनाओं में जानमाल की रक्षा करने का सबसे सरल एवं प्रभावी उपाय है। उन्होंने आमजन से अपील की कि यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट अवश्य पहनें तथा सुरक्षित ड्राइविंग अपनाएं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान से दोपहिया वाहन चालकों में हेलमेट उपयोग की आदत विकसित होगी, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। कार्यक्रम में एआरटीओ सिद्धार्थनगर, क्षेत्राधिकारी सदर, यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर एवं आमजन की उपस्थिति रही।
आमजन को निम्न बिन्दुओं के संबन्ध में जागरुक किया गया।
1.समय बहुमूल्य है, परन्तु जीवन अमूल्य है। थोड़ा सा समय बचाने के लिए तेज रफ्तार से यात्रा न करे। निर्धारित गति सीमा में चले।
2.चार पहिया वाहन चालक एवं उस पर सवार लोग सीट बेल्ट अवश्य बाध कर चले।
3.दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाये। दो व्यक्ति से अधिक न बैठें।
4.वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें।
5.वाहन चलाते समय इयरफोन का प्रयोग न करें।
6.मोड़ पर हार्न बजायें तथा रात्रि में डिपर का अवश्य प्रयोग करें।
7.यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी न बेठायें। लटक कर यात्रा न करें।
8.सड़क पर वाहन चलाने की प्रतिस्पर्धा न करें।
9.नशीले पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलायें।
10.कोहरे में यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, इससे बचें।
11.ओवरटेक करते समय विशेष सावधानी बरते। सबसे भयंकर दुर्घटनायें ओवरटेक करते समय ही होती हैं
12.अपने वाहन पर रिफ्लेक्टिंग टेप अवश्य लगवायें।
13.यातायात संकेतो व नियमों का पालन करे।

प्रेस नोट दिनांक 09.01.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा एक नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ0 अभिषेक कुमार महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध की रोकथाम एंव वांछित/वारण्टीयों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन व बृजेश कुमार वर्मा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के पर्यवेक्षण में चन्द्रकान्त पाण्डेय थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर के नेतृत्व में थाना त्रिलोकपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 09.01.2026 को वाद संख्या 262/2013 धारा 323/504/506 भादवि से सम्बन्धित एक नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पुर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी का विवरण-

1.रामकुमार पुत्र विपत निवासी सिकटा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

पुलिस टीम का विवरण

01.उ0नि0 तालीमुद्दीन खाँ थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
02.आरक्षी लालबाबू निषाद थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 09.01.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाए जाने के उद्देश्य से ट्रेनिंग दे रहे प्रशिक्षकों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

आज दिनांक 09.01.2026 को डॉ. अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाए जाने के उद्देश्य से ट्रेनिंग दे रहे प्रशिक्षकों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, अनुशासन एवं समयपालन पर विशेष बल देते हुए कहा गया कि प्रशिक्षक पुलिस बल के भविष्य का निर्माण करते हैं। उनके द्वारा दिया गया प्रशिक्षण पुलिसकर्मियों के कार्य-व्यवहार, पेशेवर दक्षता एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महोदय ने निर्देशित किया कि प्रशिक्षण के दौरान नवीनतम कानूनों, आधुनिक पुलिसिंग, साइबर अपराध, महिला एवं बाल अपराध, मानवाधिकार तथा जनसंवेदनशील पुलिसिंग जैसे विषयों को विशेष रूप से शामिल किया जाए। साथ ही व्यवहारिक प्रशिक्षण, ड्रिल एवं फील्ड आधारित अभ्यास पर भी जोर देने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित अपने अनुभव, सुझाव एवं समस्याएं साझा की गईं, जिन पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। अंत में पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी प्रशिक्षकों से अपेक्षा की कि वे पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ प्रशिक्षण कार्य को संपादित करें। इसी दौरान गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर में हो रही तैयारियों का जायजा लिया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, क्षेत्राधिकारी सदर व लाइन के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस नोट दिनांक 09.01.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆जनपद में बाल श्रम उन्मूलन अभियान के अंतर्गत श्रम विभाग, पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा सघन चेकिंग/छापेमारी अभियान चलाकर विभिन्न प्रतिष्ठानों/स्थानों से बाल श्रम में लिप्त पाए गए बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया गया।

आज दिनांक 09.01.2026 को जनपद में बाल श्रम उन्मूलन अभियान के अंतर्गत श्रम विभाग, पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा सघन चेकिंग/छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों/स्थानों से बाल श्रम में लिप्त पाए गए बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए सभी बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें आवश्यक संरक्षण, चिकित्सा परीक्षण एवं काउंसलिंग की व्यवस्था कराई गई। संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है। यदि कहीं भी बाल श्रम होते हुए दिखाई दे तो तत्काल जिला प्रशासन/पुलिस/श्रम विभाग को सूचित करें, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

प्रेस नोट दिनांक 09.01.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆ "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से साथ अपहरण के आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 09.01.2026 को वाद सं0-21/2017 मु0अ0सं0-1131/2015 धारा- 363, 323, 120(B) भा0द0वि0 में थाना सिद्धार्थनगर मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वीरेन्द्र कुमार अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में सम्बन्धित अभियुक्त सोनु पुत्र शाहिद अंसारी उर्फ सईद अंसारी निवासी शास्त्रीनगर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर को 363, 120(B) में 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, एडीजीसी पवन कुमार कर पाठक तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अर्जुन का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 09.01.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 35,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 09.01.2026 को वाद सं0-05/2016 मु0अ0सं0-1131/2015 धारा- 363, 323, 376, 120(B) भा0द0वि0, 3/4 पाक्सो एक्ट में थाना सिद्धार्थनगर मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वीरेन्द्र कुमार अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में सम्बन्धित अभियुक्त फजल उर्फ फैजल पुत्र शमशेर निवासी आजाद नगर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट में 07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 30,000/- तथा 363, 120(B) में 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, एडीजीसी पवन कुमार कर पाठक तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अर्जुन का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 09.01.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना मिश्रौलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेड़खानी/सामुहिक बलात्संग के 03 आरोपियों को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹8,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम मे आज दिनांक 09.01.2026 को वाद सं0-65/2017 मु0अ0सं0- 160/2018 धारा 354/34, 376(D), 382, 366/34, 323/34, 504, 506 भादवि में थाना मिश्रौलिया में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायालय मोहम्मद रफी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण आसमान पुत्र अल्फी, सर्वजीत पुत्र रामआसरे, शिवकुमार पुत्र जग्गू विनासीगण नवेल थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 354/34, 504,506, 323/34 में 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹8,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक चन्द्रप्रकाश मौर्या तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी अमरजीत थाना मिश्रौलिया का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 09.01.2026 जनपद सिद्धार्थनगर

◆यातायात पुलिस द्वारा चार पहिया वाहन मे सीटबेल्ट का प्रयोग न करना,दो पहिया वाहन चलाते समय तीन सवारी/हेलमेट का प्रयोग न करना एवं सड़को के किनारे अवैध अतिक्रमण हटवाने आदि के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

*

आज दिनांक 09.01.2026 को पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर डा० अभिषेक महाजन के आदेश के अनुपालन के क्रम मे,अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन मे, क्षेत्राधिकारी यातायात श्री सुजीत राय के कुशल पर्यवेक्षण मे प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय टीम द्वारा साड़ी तिराहा,पावर हॉउस तिराहा,सिद्धार्थ तिराहा,पेट्रोल पम्प तिराहा, बर्डपुर एवं कस्बा बाँसी आदि स्थानों पर पी० ए० सिस्टम से आम जनमानस को जागरूक किया गया तथा शासन के मंशा के अनुरूप बाँसी-नौगढ़ रात्रि मे दुर्घटना से बचाव हेतु वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के साथ-साथ सड़को के किनारे अवैध रूप से खड़े बड़े वाहनों को जिनसे दुर्घटना की प्रबल संभावना/जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी उनका M. V. Act के तहत चालान कर हटवाया गया एवं चार पहिया वाहनों मे सीटबेल्ट का प्रयोग न करना,बिना हेलमेट वाहन चलाना, गलत दिशा मे वाहन चलाने वालो वाहनों का चालान करने समेत कुल 44वाहनों का चालान करते हुए 53500 रूपये शमन शुल्क की कार्यवाही करते हुए प्रत्येक दशा मे यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओ की संख्या मे भारी कमी लायी जा सके।

प्रेस नोट दिनांक 09-01-2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा आगामी त्योहार मकर संक्रांति के दृष्टिगत सतर्कता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्रो में पैदल गश्त कर आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन मे आज दिनांक 09.01.2026 को जनपद के क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा आगामी त्योहार मकर संक्रांति के दृष्टिगत सतर्कता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले चिह्नित हॉट स्पाट (बाजार, रेलवे स्टेशन) पर एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में पैदल गश्त एवं गहन चेकिंग किया जा रहा है तथा आम जनमानस मे सुरक्षा का एहसास कराते हुये आपस में सौहार्द बनाये रखने हेतु अपील की गयी।